न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
12A/दावा/2016	24.12.2016	16.03.2021

1. श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री सत्यनारायण जाति माली
2. श्रीलाल आत्मज श्री सत्यनारायण जाति माली निवासीगण ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)

......वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
2. गोपाल लाल आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
3. कालूलाल आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
4. रामप्रसाद आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
5. बृजमोहन आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली निवासीगण लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
6. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री स्वर्गीय जीवन पत्नी नवल जाति माली निवासी ग्राम साँकरदा तहसील एवं जिला बूंदी (राज०)
7. श्रीमती सीमा बाई पुत्री स्वर्गीय जीवन पत्नी भैरूलाल जाति माली निवासी ग्राम मराड़ी(लक्ष्मीपुरा) तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
8. तहसीलदार तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
9. उपपंजीयक पंजीयन तालेड़ा, तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
10. सीता बाई उर्फ लीला बाई बेवा जीवन निवासी नया बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी
11. मुर्रा बाई पत्नी सत्यनारायण
12. सुनिल सैनी पुत्र सत्यनारायण
13. अनिल सैनी पुत्र सत्यनारायण निवासीगण नया बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उपस्थित अभिभाषक

प्रतिवादीगण

अधिवक्तावादी:— श्री गौरवदत्त

अधिवक्ता प्रतिवादी:— श्री अनन्त शर्मा

— : : निर्णय : : —

वाद अन्तर्गत धारा— 88,89,188 एवं 53 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:—

1. यह कि खतौनी संख्या नई 65 पुरानी 12 की भूमि खसरा संख्या 27 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 47 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 260 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 429 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 731/302 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 39 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम नया बरधा पटवार क्षेत्र कैथूदा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में स्थित है। जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है।
2. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि जीवन आत्मज नाथू जाति माली निवासी नया बरधा के खाते व कब्जे काश्त की थी। जीवनलाल जी का दिनांक 01.07.2014 को स्वर्गवास हो चुका है। जीवनलाल जी के 5 लड़के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं 2 लड़कियाँ प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 7 हैं। जिन सभी का विवाह हो चुका है। राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम उक्त भूमि के खातेदार के रूप में अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

यह कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण की पत्नी व पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण का विवाह वादिनी भूली के साथ हुआ था। सत्यनारायण के नुफ्ते भूली बाई के एक लड़का वादी श्रीलाल एवं लड़कियाँ सुनीता, फूला बाई उर्फ अनीता एवं किशना हुई है। जिसमें सुनीता एवं फूला बाई उर्फ अनीता का विवाह हो चुका है।

4. यह कि प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण द्वारा वादीनी भूली बाई को मारपीट कर घर से निकाल दिया और वादिनी भूली बाई को घर से निकालने के उपरान्त भूली बाई की अनुमति व सहमति के बिना गैर कानूनी ढंग से मोरा बाई से नाता विवाह कर लिया है। मोरा बाई के सत्यनारायण के नुफते से दो लड़के अनिल व सुनील हुये। वर्तमान से मोरा बाई सत्यनारायण के साथ निवास कर रही है।
5. यह कि खातेदार जीवन आ0 नाथू द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने खाते व कब्जे काश्त की वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन अपने पांचों पुत्रों प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के बीच करके उन्हे मौके पर कब्जा संभला दिया था। स्वर्गीय जीवन द्वारा अपने पुत्र प्रतिवादी सत्यनारायण के हिस्से की कृषि भूमि में से 1/2 कृषि भूमि वादीगण को संभला दी थी तब से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है और हर साल फसल बोते जोते व काटते चले आ रहे है।
6. यह कि उक्त भूमि को खातेदार जीवन आ0 नाथूलाल जी द्वारा दिनांक 17.12.1999 को वादीगण के पक्ष में एक इकरारनामा निष्पादित कर वादीगण को अपने पुत्र सत्यनारायण के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण को अदा कर दी थी। उसके उपरान्त पुनः दिनांक 25.05.2013 को प्रतिवादी सत्यनारायण द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 भूमि वादीगण को देने का इकरार किया था। जिससे प्रतिवादी सत्यनारायण पाबन्द है। उक्त विवादित भूमि वादी श्रीलाल की पुश्तैनी भूमि होने से श्रीलाल को उक्त भूमि में पैदाईशी हिस्सा व अधिकार है।
7. यह कि प्रतिवादी सं0 1 यत्यनाराण के हिस्से में वाद पत्र की चरण सं 1 में वर्णित कृषि भूमि मे से ख0सं0 27 के पश्चिम दिशा की 3 बीघा भूमि एवं ख0सं0 429 के पश्चिम दिशा की 3 बीघा भूमि कुल 6 बीघा भूमि आयी हुई है, जिससे ख0सं0 429 की 3 बीघा भूमि पर वादीगण काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है।
8. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की संयुक्त शामलाती भूमि है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 का नाम खातेदार के रूप में अंकित है, परन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 ही अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 6 व 7 का विवाह हो चुका है। जो अपने ससुराल में निवास कर रही है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है।
9. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि शामलाती भूमि होने से प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर समान रूप से हक व हिस्सा है। किसी भी सहखातेदार को बिना विधिक विभाजन करवाये उक्त भूमि या उसके किसी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बख्शीस करने का अधिकार नही हैं
10. यह कि प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसके मन में बदनियति आ गयी है और वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है। प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण द्वारा अपने खाते व हिस्से की कृषि भूमि या उसके किसी भाग को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया तो वादीगण अपने कब्जे व हिस्से की कृषि भूमि से वैधानिक उपयोग–उपयोग से वंचित हो जायेगे और उन्हें अपूरणनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से संभव नही हो सकेगे और अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द कराने के अतिरिक्त वादीगण के पास अन्य कोई कानूनी उपचार उपलब्ध नही है।
11. यह कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से की 1/5 कृषि भूमि मे से 1/2 कृषि भूमि पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने व अपने हिस्से की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवा कर उनके हिस्से में आने वाली भूमि पर स्वतंत्र रूप से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण प्रतिवादीगण को वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

यह कि प्रतिवादी सं0 1 में सत्यनारायण वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 की अनुमति व सहमति के बिना अपने खाते व हिस्से की भूमि को गैर कानूनी ढंग से अन्य व्यक्तियों को बेचान कर उनके पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय तालेडा से पंजीयन कराना चाहता है। प्रतिवादी संख्या सत्यनारायण को स्थाई निषेधाज्ञा जारी पाबन्द नही किया गया तो वह विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर देगा। जिससे वादीगण को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से संभव नही हो सकेगी। विवादित भूमि से ही वादीगण अपने व अपने परिजना का पालन पोषण कर रहे है।

13. यह कि वाद कारण दिनांक 28.12.2015 को प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण द्वारा वाद पत्र की चरण सं0 1 मं वर्णित कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देने एवं वादीगण को उनक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है।

14. यह कि उक्त वाद में तहसीलदार तालेडा एवं उप पंजीयक तालेडा को पक्षकार बनाया गया है जिन्हे कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना एवं नोटिस देने के उपरांत भी उनके विरूद्ध वाद पेष किया जा सकता है, परन्तु वादीगण का यह वाद अत्याधिक आवश्यक प्रकृति का है, जिसमें राज्य सरकार को दो माह का नोटिस जारी कर वाद पेश करने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगे। उसे अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान कर देगे, जिससे वादीगण का वाद पेश करने उद्धेश्य ही व्यर्थ हो जावेगा। इसलिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन भूमि एवं अधिकार घोषणा की डिक्री बय मय खर्चा सादर फरमाई जावेः–

1. यह कि प्रतिवादी सं0 1 इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से अपने हिस्से की कृषि भूमि से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर से वादीगण को बेदखल नही करे उनके कब्जे काशत में हस्तक्षेप न करे। वादीगण को उक्त भूमि पर फसल बोने जाने व काटने से नही रोके, ऐसा प्रतिवादी सं0 1 न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे।
2. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पांबद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि में से अपने खाते एवं हिस्से की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान न करे। उनके पक्ष में बेचान का पंजीयन नही करवावे, ऐसा प्रतिवादी 1 लगा0 7 न तो स्वयं करे न ही अन्यो से करावे।
3. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की कृषि भूमि मे से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे और राजस्व रिकार्ड मं प्रतिवादी सं0 1 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अलग से दर्ज किया जावे।
4. यह कि प्रतिवादी सं0 8 व 9 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि या उसके किसी हिस्से को रहन, बेचान बक्शीश करने हेतु प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे तो ऐसे किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही किया जावे। राजस्व रिकार्ड में कोई फेरबदल नही किया जावे, ऐसा प्रतिवादी सं0 7 व 8 न तो स्वयं करे न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करावे।
5. यह कि खर्चा वाद व अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में सुलभ हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 2 लगा0 10 की और से कोई जवाब दावा पेश नही किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 लगा0 3 स्वीकार है। च0सं0 4 जिस प्रकार लिखी है अस्वीकार है। च0सं0 5 अस्वीकार है तथा समस्त तथ्य मनघडन्त एवं बनावटी है। च0सं0 6 अस्वीकार है विशेष कथन अन्न आक्षेप में वर्णित है। च0सं0 7 अस्वीकार है। च0सं0 8 प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के संयुक्त शामलाती भूमि होना स्वीकार है। प्रतिवादीगण निहित हिस्से अनुसार ही 1/7–1/7 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज काशत

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

करते एवं करवाते चले आ रहे है। च0सं0 9 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। प्रत्येक खातेदार का वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी में समानरूप से अधिकार तथा खातेदारान को उनके निहित हिस्से की भूमि को रहन, बय आदि तरको से अन्तरित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। च0सं0 10 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 1 को उनके हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि को बहैसियत खातेदार स्वतंत्र रूप से उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी में वर्तमान में कोई हिस्सा निहित नही है तथा न ही वादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई कही कब्जा है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नही है तथा वादीगण द्वारा जिस तथाकथित इकरारनामा जीवन आ0 नाथूलाल के आधार पर अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज का विधि की दृष्टि में कोई महत्व नही है। साक्ष्य में ग्रहण योग्य नही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 के अन्तर्गत खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है। वादीगण की और से प्रस्तुत उक्त वाद का मूल आधार तथाकथित इकरारनामा रहा है, ऐसी सूरत में उक्त दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नही है तथा उक्त उनवान वाद दीवानी प्रकृति का वाद है। च0सं0 11 अस्वीकार है। वादीगण न तो वादग्रस्त भूमि के खातेदार है न ही वादीगण का वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी सं0 1 उसके निहित हिस्से पर अधिकार स्वतन्त्र रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं प्रतिवादी सं0 12 को उसके निहित हिस्से को स्वतंत्र रूप से उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। च0सं0 12 अस्वीकार है। समस्त तथ्य मनघढन्त एवं बनावटी है। च0सं0 13 अस्वीकार है। च0सं0 14 लगा0 16 कानूनी है। प्रार्थना वादीगण अस्वीकार है। वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अन्य आक्षेप इस प्रकार है–

1. यह कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुति से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80(2) जा.दी. का नोटिस नही दिया गया है। इसलिए वाद चलने योग्य नही है।
2. यह कि मूल वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राज.टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है।
3. यह कि वादीगण द्वारा एक तथाकथित इकरारनामा जो कि जीवन आ0 नाथूलाल द्वारा लिखा जाना प्रकट करते हुये उक्त दस्तावेजात को आधार मानकर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण की भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर अधिकार घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है।
4. यह कि मूलवाद ही राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही होने से उक्त वाद पत्र भी चलने योग्य नही है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की और से प्रस्तुत वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण सं0 11 लगा0 13 की ओर से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 स्वीकार है। च0सं0 2 लगा0 13 विशेष आपत्तियों के क्रम सं0 2 में स्वीकार है। वाद पत्र की चरण सं0 14 लगा0 16 कानूनी है। प्रार्थना विशेष आपत्तियों के क्रम में स्वीकार है। विशेष आपत्तियॉ निम्नप्रकार है–

1. यह कि वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार स्वं0 जीवन लाल आ0 नाथू जाति माली थे, स्वं0 जीवन अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि में से 4 बीघा वादी सं0 2 को संभलाई थी। इस आशय की लिखा पड़ी भी की थी तब से ही भूली बाई उसके दी गई 4 बीघा पर काबिज काश्त थी, जीवन लाल की मृत्यु के बाद फिर विवाद होने के बाद सत्यनारायण प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण को 3 बीघा भूमि देकर विवाद शांत किया जिसकी लिखापढ़ी गवाहों के समक्ष की गई किन्तु 2–3 वर्ष बाद फिर विवाद हो गया इस कारण वादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत वाद पेश कर स्वं0 जीवन लाल द्वारा दी गई भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई। चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के है तथा सभी

उपखण्ड अधिकारी
नालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

शांतिपूर्वक अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करना चाहते है। इस कारण पक्षकारों ने राजीनामा कर लिया है

कृषि भूमि ख0सं0 429 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो खसरा नं0 423 के सहारे स्थित है, का वादी सं0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दराज किया जावे शेष भूमि प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 व 10 के संयुक्त खाते यथावत दर्ज रहेगी।

2. यह कि उक्त राजीनामा में वादी सं0 2 को दी जाने वाली कृषि भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ख0सं0 429 रकबा 2.0639 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से1/8 की सम्पूर्ण भूमि क्योंकि सत्यनारायण की सम्पूर्ण भूमि एवं प्रतिवादी सं0 10 सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्से की करीब 18 बिस्वा भूमि वादी सं0 2 को दी जा रही हैं इस प्रकार उक्त राजीनामें में हिस्से वादी सं0 2 को उपरोक्त वर्णित प्रकार से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार घोषित करने में सभी खातेदार सहमत है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

3. यह कि वादी सं0व 2 के खोतदारी की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो उसके हिस्से में दी गई है, पर उसके शांत एवं वैद्य कब्जे में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करेगे, न ही वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि पर उसे शांत एवं वैद्य कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करेगे ना अन्य से करवायगें।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किया विशेष आपत्तियों के कथनों के आधार पर वाद डिक्री फरमा दिया जावे।

साक्ष्य में वादीगण की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 65 ग्राम नयाबरदा संवत् 2070–73, जमाबन्दी खाता सं0 216 ग्राम नया बरदा संवत 2076, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नयाबरधा की प्रति, इकरारनामा दिनांक 17.12.1999 एवं इकरार नामा दिनांक 25.05.2013 की छाया प्रतियॉ पेश की।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 व 10 ने दिनांक 21.07.2020 को उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि–

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार स्वं0 जीवन आ0 नाथू जाति माली थे स्व0 जीवन अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि में से 4 बीघा वादीनी सं0 1 को संभलाई थी। इस आशय की लिखा पढ़ी भी की थी तब से ही भूली बाई उसको दी गई 4 बीघा पर काबिज काश्त थी जीवन लाल की मृत्यु के बाद फिर विवाद होने के बाद सत्यनारायण प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण को 3 बीघा भूमि देकर विवाद शान्त किया, जिसकी लिखा पढी गवाहो के समक्ष की गई, किन्तु 2–3 वर्ष वाद फिर विवाद हो गया। इस कारण वादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत वाद पेश कर स्वं0 जीवन लाल द्वारा दी गई भूमि वादीगण को खातेदार घोषित कर भूमि को विधिवत बंटवारा करवा कर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई।

चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के है तथा सभी शान्तिपूर्वक अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करना चाहते है। इस कारण पक्षकारो ने राजीनामा कर लिया है जिसके अनुसार कृषि भूमि ख0सं0 429 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो ख0सं0 423 के सहारे स्थित है का वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किया जावे। इसी अनुरूप खातेदार के स्थान पर वादी सं0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दराज किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण 1 ता0 7 व 10 के संयुक्त खातो में यथावत दर्ज रहेगी।

2. यह कि उक्त राजीनामे वादी सं0 2 को दी जाने वाली कृषि भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार ख0सं0 429 रकबा 2.0639 हे0 में से प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से 1/8 की सम्पूर्ण भूमि क्योकि सत्यनारायण ने अपने हिस्से की कुछ भूमि पूर्व में ही बेचान कर दी थी इस कारण सत्यनारायण की सम्पूर्ण भूमि एवं प्रतिवादी सं0 10 सीताबाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से मे से 4/7 हिस्से की (18 बिस्वा भूमि) भूमि वादी सं0 2 को दी जा रही है। इस प्रकार उक्त राजीनामे मे हिस्सा वादी सं0 2 को उपरोक्त वर्णित प्रकार से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार घोषित करने में सभी खातेदार सहमत है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

3. यह कि वादी सं0 2 के खातेदारी की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो उसको हिस्से में दी गई है पर उसके शांत एवं वैध कब्जे में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करेगे न ही वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि पर उसके शान्त एवं वैध कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करेगे ना अन्य से करवायेगे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त राजीनामे को तस्दीक कर उक्त उनवानी दावे को डिक्री करने की कृपा करे।

बहस वकुलाए सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं0 11 लगा0 13 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर सहमति दी गई है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 व 10 सभी सहखातेदार द्वारा कृषि भूमि खसरा सं0 429 रकबा 2.0639 है0 वाके ग्राम नया बरधा मे से प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से 1/8 की सम्पूर्ण भूमि एवं प्रतिवादी सं0 10 सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्से (18 बिस्वा भूमि) वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किया जाना स्वीकृत किया है। पत्रावली मे उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 65 ग्राम नयाबरधा संवत् 2070–73 से स्पष्ट है कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण ने अपने हिस्से की कुछ भूमि पूर्व में ही बेचान कर दी थी। अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं0 429 रकबा 2.0639 है0 वाके ग्राम नया बरधा मे से प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से 1/8 की सम्पूर्ण भूमि अर्थात 1 बीघा 12 बिस्वा एवं प्रतिवादी सं0 10 सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्सा अर्थात 18 बिस्वा का वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किया जाता है साथ ही वादी द्वारा प्रतिवादी सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्सा अर्थात 18 बिस्वा की भूमि का पंजीयन मुद्रांक कर जमा किये जाने के पश्चात ही खातेदार दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बूंदी

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी।
इजलास कमल कुमार मीणा आर०ए०एस०

1. श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री सत्यनारायण जाति माली
2. श्रीलाल आत्मज श्री सत्यनारायण जाति माली निवासीगण ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)

......वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
2. गोपाल लाल आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
3. कालूलाल आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
4. रामप्रसाद आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली
5. बृजमोहन आत्मज स्वर्गीय जीवन जाति माली निवासीगण लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
6. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री स्वर्गीय जीवन पत्नी नवल जाति माली निवासी ग्राम साँकरदा तहसील एवं जिला बूंदी (राज०)
7. श्रीमती सीमा बाई पुत्री स्वर्गीय जीवन पत्नी भैरूलाल जाति माली निवासी ग्राम मराड़ी(लक्ष्मीपुरा) तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
8. तहसीलदार तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
9. उपपंजीयक पंजीयन तालेड़ा, तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज०)
10. सीता बाई उर्फ लीला बाई बैवा जीवन निवासी ग्राम नया बरधा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी
11. मुर्रा बाई पत्नी सत्यनारायण
12. सुनिल सैनी पुत्र सत्यनारायण
13. अनिल सैनी पुत्र सत्यनारायण निवासीगण नया बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,188 एवं 53 आर.टी.एक्ट
12A/दावा/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री गौरवदत्त एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री अनन्त शर्मा ऐडवोकेट मिनजातिब मुदायलह पेष होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं0 429 रकबा 2.0639 है0 वाके ग्राम नया बरधा मे से प्रतिवादी सं0 1 सत्यनारायण के हिस्से 1/8 की सम्पूर्ण भूमि अर्थात 1 बीघा 12 बिस्वा एवं प्रतिवादी सं0 10 सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्सा अर्थात 18 बिस्वा का वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किया जाता है साथ ही वादी द्वारा प्रतिवादी सीता बाई उर्फ लीला बाई के निहित 1/8 हिस्से में से 4/7 हिस्सा अर्थात 18 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

भूमि का पंजीयन मुद्रांक कर जमा किये जाने के पश्चात ही खातेदार दर्ज किया जावे। खर्चा फरीकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन यथावत रहेगा।

नीज.............................. मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुद्दई	**रूपया**	**पैसे**	**मुदायलाह**	**रूपया**	**पैसे**
स्टाम्प अर्जी दावा			**स्टाम्प वकालात**		
स्टाम्प वकालात			**स्टाम्प अर्जी**		
स्टाम्प वजह सबूत			**महनताना वकील**		
महनताना वकील			**खर्चा गवाहान**		
खर्चा गवाहान			**फीस कमिश्नर**		
फीस कमिश्नर			**बाबत इजराय**		
बाबत इजराय हुक्मनामा			**हुक्मनामा**		
मुतफरिक			**मुतफरिक**		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 16 माह 03 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी (राज.)

(कमल कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

तालेडा जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी

तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner